राजस्व अपील संख्या 89/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
हनुमान प्रसाद पुत्र श्रीगोपाल, जाति ब्राहमण गुजर गौड, निवासी–ग्राम उदट तहसील बाप जिला जोधपुर।		1.अर्जुन पुत्र रामेश्वर, जाति ब्राहमण गुजर गौड, निवासी– रघुनाथपुरा फलोदी जोधपुर। 2.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक.13.06.2019 जो तहसीलदार बाप, जोधपुर द्वारा वसीयत प्रकरण सं0 19/2018 में अनवान अर्जुन बनाम हनुमान प्रसाद में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2– श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3– श्री नवलसिंह दहिया, राज0 अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 17 अक्टूबर, 2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाप के समक्ष धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम उदट, तहसील बाप के खसरा सं0 13 रकबा 280 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से एक चौथाई हिस्सा श्रीगोपाल पुत्र भोजराज की आई हुयी है जिनके द्वारा दिनांक 27.02.1996 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा अर्थात 85.03 बीघा भूमि अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा के जरिये प्रत्यर्थी को प्रदान कर दी है जो वसीयत नोटेरी पब्लिक से तस्कीदसुदा है। श्रीगोपाल जी का देहान्त दिनांक 01.04.1999 को हो चुका है इसलिये वसीयत के आधार पर नामान्तकरण खोले जाने की कार्यवाही की जावें। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा स्व0 श्रीगोपाल द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 27.02.1996 के आधार पर ग्राम उदट के ख0सं0 13 रकबा 280.17 बीघा में श्रीगोपाल के 1/4 हिस्सा भूमि में प्रार्थी अर्जुन पुत्र रामेश्वर के नाम नामा0 दर्ज किये जाने का दिनांक 13.06.2019 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाप में प्रकरण दर्ज होने पर तहसीलदार बाप के द्वारा अखबार में आपत्ति हेतु नोटिस जारी किये गये जिस पर अपीलार्थी द्वारा उनके न्यायालय के समक्ष आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई कि उपरोक्त विवादित भूमि खेत खसरा सं0 13 जिसका मूल रकबा 340 बीघा 17 बिस्वा तथा खसरा नं0 04 रकबा 46 बीघा 12 बिस्वा अर्थात कुल रकबा 387 बीघा 09 बिस्वा भूमि आई हुई थी जिसमें श्रीगोपाल का एक चौथाई हिस्सा बंट में आता है। श्रीगोपाल जी के द्वारा अपने जीवनकाल में ही दिनांक 20.04.1979 को अपनी पुत्री पुष्पा व अम्बा को खसरा नं0 04 में से रकबा 41 बीघा भूमि

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

बख्शीश कर दी थी तथा बख्शीशनामा में ख0 सं0 04 को अपने बंट में होना बताया था। इसी प्रकार श्रीगोपाल व उसके पुत्रों हनुमानप्रसाद, लक्ष्मीनारायण व रामेंश्वर द्वारा खसरा सं0 13 में से संयुक्त रूप से रकबा 60 बीघा भूमि का बेचान दिनांक 14.02.1984 को रमजान खां व कुतुबदीन को कर दिया था। तत्पश्चात् श्रीगोपालजी द्वारा दिनांक 19.11.1991 को रजिस्टर्ड बख्शीशनामे के जरिये खसरा नं0 04 के शेष रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नं0 13 में से 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि कुल रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा भूमि भंवरी देवी को पंजीबद्व बख्शीशनामें के जरिये बख्शीश कर दी थी।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि स्व0 श्रीगोपाल जी के एक चौथाई हिस्से में से जीवित रहते ही बेचान व बख्शीशनामें के जरिये 76 बीघा 2 बिस्वा भूमि का प्रबन्ध कर दिया था। इनके मृत्यु के समय उनके हिस्सें में खसरा सं0 13 में से 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि ही खातेदारी में शेष रहती है। वसीयतनामा भी विधि अनुसार अटेस्टेट नहीं होने के कारण भी प्रभाव में नहीं रह जाता है। इन सब आधारों पर वसीयत के आधार पर नामान्तकरण खोले जाने की कार्यवाही को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक अर्जुन की सुनवाई करते हुए खसरा सं0 13 रकबा 280 बीघा 17 बिस्वा में श्रीगोपाल के 1/4 हिस्से में रेस्पो0 संख्या एक अर्जुन के नाम नामान्तकरण दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 13.06.2019 को पारित कर दिया गया जिसमें भारी विधिक और तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड का तथा उनके बंट मे आई भूमि में से शेष बची भूमि का अवलोकन किये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को दरकिनार करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है जबकि स्व0 श्रीगोपालजी के हिस्से में वसीयत के अनुसार कोई हिस्सा शेष नही पाया जाता है इसलिये 1/4 हिस्से के अनुसार नामा0 स्वीकृत किये जाने के विधि विरूद्व आदेश पारित किये गये है। उक्त अपीलाधीन प्रकरण तहसीलदार फलोदी के समक्ष वर्ष 2008 में दर्ज किया गया था तत्पश्चात प्रकरण तहसीलदार बाप के न्यायालय में दिनांक 19.04.2013 को दर्ज किया गया जिसमें न तो उनके न्यायालय से प्रकरण सम्बन्धी नोटिस जारी किये गये एवं वर्ष 2013 से दिनांक 13.06.2019 तक कोई कार्यवाही सम्पादित नही की गई। तत्पश्चात दिनांक 13.06.2019 को ही शपथपत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करवा लिया गया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को किसी भी प्रकार से तत्समय नही हो सकी जिसके लिए अपील को अन्दर मयाद शुमार करने हेतु अलग से अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट/प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की कतई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी के द्वारा जब राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तो उसमें प्रार्थी का हिस्सा कम होना पाया तथा वसीयत के आधार पर नामा0 स्वीकृत हो जाना ज्ञात हुआ जिस पर प्रार्थी दिनांक 30.07.2020 को तहसीलदार बाप न्यायालय से नकले प्राप्त करने आवेदन प्रस्तुत किया तब प्रथम बार आलोच्य आदेश की जानकारी हुई। प्रार्थी के द्वारा जानबूझकर देरी नहीं की गयी तथा जानकारी से अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जावें।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उक्त वसीयत में दो गवाहों के अटेस्टेड नही होने के कारण वसीयत विधि अनुसार माने जाने योग्य नही रह जाती है तथा उक्त वसीयत के आधार पर एवं अपीलान्ट/आपत्तिकर्ता को सुने बिना आदेश पारित किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना वसीयत की विधिवत जांच किये ही व रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वसीयत को साबित करवायें बिना उक्त वसीयत से कोई हक–अधिकार उत्पन्न नहीं होते है एवं अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत में अंकित गवाह भी उपस्थित नहीं हुए थे। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य सहायक कलेक्टर न्यायालय बाप के समक्ष राजस्व वाद संख्या 108/2013 धारा 88, 188, 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी अनवान हनुमान प्रसाद बनाम रामेश्वर वगैराह भी दायर हुआ था जो दिनांक 28.6.2018 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हुआ था जो रेस्टोर प्रार्थना पत्र 25/2020 दिनांक 26.07.2021 को स्वीकार हो जाने से रेस्टोर हो गया एवं विचाराधीन चल रहा है। इस प्रकार के मामलों का निस्तारण नियमित वाद के जरिये ही हो सकता है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जो कार्यवाही सम्पादित की गई है वो विधि के विपरित सम्पादित की गई है। इस कारण से भी आलौच्य आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने के योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.06.2019 को निरस्त किया जावे एवं आलौच्य आदेश की पालना में स्वीकृत किये गये नामान्तकरण को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत वसीयतनामा के आधार पर फौतेदगी नामा0 भरवाने बाबत ग्राम उदत, पटवार हल्का, लूणा तहसील फ़लोदी में खसरा सं0 13 रकबा 296 बीघा भूमि का आया हुआ है जो कि पूर्व में श्रीगोपाल पुत्र भोजराज जोशी का खरीदशुदा एवं स्वयं के खातेदारी कब्जा काश्त का आया हुआ था। खसरा नम्बर 13 रकबा 296 बीघा भूमि में से रकबा 85 बीघा भूमि कृषि भूमि श्रीगोपाल जोशी ने अपने पोते यानि मुझ रेस्पो0 संख्या एक अर्जुन जोशी पुत्र रामेश्वरलाल जोशी को जरिये वसीयतनामा दे दी थी तथा तत्समय भूमि का कब्जा भी सुपुर्द कर दिया था यद्यपि वसीयतनामा रजिस्टर्ड नहीं है परन्तु स्टाम्प पर लिखित कर श्रीगोपाल जोशी ने मुझ रेस्पो0 संख्या एक के पक्ष में निष्पादित कर दिया था। उक्त वसीयत रूबरू साख के हस्ताक्षर करवा कर अधिवक्ता से पहचान करवाकर नोटेरी द्वारा प्रमाणित करवाई हुई है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0 संख्या एक के योग्य अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी कथन किया था कि श्रीगोपाल जोशी रिश्ते में मेरे दादा लगते थे जिनको फौत हुए करीब 13 वर्ष हो चुके है इसके अलावा श्री श्रीगोपाल जोशी ने अपने वारिसान् पुत्रों एवं पुत्रियों को उनके हिस्से के अनुसार कृषि भूमि बराबर बख्शीश कर दी थी जो उन्होनें अपने जीवनकाल में ही कर दी थी तथा माफिक बख्शीशनामा राजस्व रेकर्ड में उनके नाम बतौर खातेदार दर्ज हो गये थें तथा अपने हिस्से की 85 बीघा कृषि

भूमि उन्होने अपने जीवनकाल मे ही मुझ रेस्पो0 संख्या एक के नाम वसीयत कर दी थी। वक्त वसीयत मुझ रेस्पो0 संख्या एक की आयु 18 वर्ष से कम थी लेकिन अब मेरी आयु 22 वर्ष है तथा श्रीगोपाल मेरे दादा फौत हो चुके है। मेरे ताउ लक्ष्मीनारायण ने उक्त वसीयत में अपनी साख डाली थी तथा एक घोषणा पत्र भी लक्ष्मीनारायण जी द्वारा अपने पिता श्रीगोपाल के द्वारा दो प्रकार के हस्ताक्षर करने के संबंध मे एवं उक्त वसीयत में अपनी साख डालने के संबंध में निष्पादित किया गया था। अतः निवेदन है कि मुझ रेस्पो0 सं0 एक का नाम व फौतेदगी श्रीगोपाल जोशी वसीयत के आधार पर खसरा नं0 13 रकबा 85 बीघा पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाने का आदेश प्रदान करावें। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए ग्राम उदट के खसरा सं0 13 रकबा 280 बीघा 17 बिस्वा में श्रीगोपाल के 1/4 हिस्से में रेस्पो0 संख्या एक अर्जुन के नाम नामान्तकरण दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 13.06.2019 को पारित किया गया है जो विधि अनुकूल उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या एक के योग्य अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तहसीलदार के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत हुई वसीयत दस्तावेज के आधार पर वसीतयकर्ता के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करना होता है और अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा इसी आधार पर रेस्पो0 के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने के निर्देश पारित किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 के पक्ष में कमला पुत्री श्रीगोपाल ने भी सहमति पत्र प्रस्तुत कर मृतक श्रीगोपाल पुत्र भोजराज द्वारा अर्जुन पुत्र रामेश्वर के हक में निष्पादित वसीयत के आधार पर नामा0 भरने में अपनी सहमति बताई थी तथा अन्य गवाहान श्यामसुन्दर पुत्र हनुमानप्रसाद व अर्जुन पुत्र रामेश्वरलाल, ओमप्रकाश पुत्र जैसीराम के बयान भी अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा कलमबद्ध किये जिसमें वसीयत को पूर्णतया सही होना स्वीकार किया गया। तत्पश्चात अखबार में भी छायाप्रकाशन करवाया गया। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा इसके उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए स्व. श्रीगोपाल द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 27.2.1996 के आधार पर ग्राम उदट पटवार क्षेत्र लूणा में ख0सं0 13 रकबा 280.17 बीघा भूमि में श्रीगोपाल के 1/4 हिस्सा भूमि में रेस्पो0 अर्जुन पुत्र रामेश्वर के नाम नामा0 दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 13.06.2019 को पारित किया गया है जो विधि अनुकूल उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या एक के योग्य अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य पारिवारिक बंटवाडा भी दिनांक 31.01.1972 को निष्पादित हो रखा है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि बाबत पुलिस कार्यवाही भी हुई तथा प्रकरण में एफआईआर दर्ज होने के पश्चात उसमें एफआर भी लगी। तथा फौजदारी मुकदमा संख्या 351/2020 भी दर्ज हुआ। श्रीगोपाल के द्वारा अपने हक–हिस्से में प्राप्त हुई भूमि से अधिक भूमि का बेचान/हस्तान्तरण के अधिकारी नहीं थे। रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में निर्णिय नजीर आरआरडी,2008 पेज 197, आरआरडी,2007 पेज 375, आरआरडी,2020 पेज 213, आरआरडी, 2002 पेज 280, संभागीय आयुक्त, जोधपुर का निर्णय दिनांक 15.03.2017 एवं फार्म नं.3 के साथ दस्तावेज इत्यादि अवलोकनार्थ पेश किये गये।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2019 इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अपीलान्ट के द्वारा अपील के संलग्न प्रस्तुत म्याद प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकन किये गये है कि अपीलान्ट को आलौच्य आदेश दिनांक 14.06.2019 की जानकारी प्रार्थी के द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तो उसमें प्रार्थी का हक–हिस्सा कम होना पाये जाने व वसीयत के आधार पर नामा0 स्वीकृत हो जाने की जानकारी होने पर उनके द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.7.2020 को जारी होने की जानकारी को हुई। तब उनके द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इन तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

तहसीलदार फलौदी ने दिनांक 31.1.1972 को निष्पादित बंटवाडानामा को दिनांक 01.2.1972 को तस्दीक किया गया है उक्त निष्पादित पारिवारिक बंटवाडानामा के अनुसार खसरा संख्या 4 में रकबा 46.12 बीघा एवं ख0सं0 13 की रकबा 340.12 बीघा भूमि का बंटवाडा किया गया है। उक्त भूमि में श्री गोपाल पुत्र भोजराज के हिस्से में 1/4 हिस्सा भूमि यानि 97.00 बीघा भूमि बंट में आती है।

श्रीगोपाल के द्वारा अपनी पुत्री पुष्पा व अम्बा के नाम निष्पादित रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 20.7.1979 अनुसार ख0सं0 4 में से 41 बीघा भूमि की बक्शीश की जाकर मौके पर कब्जा दिया जाना प्रतिवेदित किया गया है। श्री गोपाल के द्वारा रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 8.10.1987 द्वारा अपनी पुत्री कमला बाई को ख0सं0 4 की 05 बीघा 12 बिस्वा तथा ख0सं0 13 की 14.12 बीघा भूमि यानि कुल 20 बीघा 02 बिस्वा भूमि बक्शीश की गई है। श्री गोपाल के द्वारा अपंजीबद्ध वसीयतनामा दिनांक 9.4.1996 के अनुसार ख0सं0 13 में 1/4 हिस्सा भूमि अर्जुन पुत्र रामेश्वर को वसीयत कर दी गई।

दिनांक 1.4.1999 को श्री गोपाल की मृत्यु होना प्रतिवेदित किया गया है। श्री गोपाल की मृत्यु के 20 साल बाद अपंजीबद्ध वसीयत के आधार पर तहसीलदार के द्वारा दिनांक 13.6.2019 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है एवं ख0सं0 13 रकबा 280.17 बीघा में 1/4 हिस्से का वसीयतग्रहिता के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिया गया है जबकि श्री गोपाल को दिनांक 31.7.1972 के बंटवारे में प्रात कुल 97 बीघा भूमि में से जरिये रजिस्टर्ड बक्शीशनामा 41 बीघा एवं 20.02 बीघा भूमि कुल 61.02 बीघा भूमि बक्शीश कर चुके थे व उसके हिस्से में आई कुल 97 बीघा भूमि में से 35.18 बीघा भूमि की ही वसीयत के अधिकारी होना परिलक्षित होता है। तहसीलदार के द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों का विवेचन किये बगैर ही वसीयत प्रकरण संख्या 19/2018 में निर्णय पारित किया है जो विधिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होता है व काबिल खारिज है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार, बाप के द्वारा वसीयत प्रकरण संख्या 19/2018 में पारित निर्णय दिनांक 13.06.2019 को खारिज किया जाता है।। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर